राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015

(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई मेलः–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(एच–385/94)/अलेसे–III/151-159 दिनांक :– 12/06/24

**आदेश संख्याः 129 /2024–25**

स्व0 श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, (लिंक नं0 4410) कनिष्ठ लेखाकार को तत्कालीन कार्यालय उपकोष, पिड़ावा, झालावाड़ (आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय) में कार्यरत रहने के दौरान इनके विरूद्ध पुलिस थाना, सांगानेर, जयपुर (पूर्व) में दर्ज मुकदमा संख्या 286 दिनांक 10.03.2014 के अन्तर्गत धारा 420/406 आईपीसी में प्रकरण दर्ज होने एवं दिनांक 10.03.2014 से 14.03.2014 तक पुलिस रिमांड पर रहने तथा न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण स्व0 श्री चतुर्वेदी को निदेशालय के आदेश क्रमांक 1718–25 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा दिनांक 10.03.2014 से निलम्बित किया गया था।

स्व0 श्री चतुर्वेदी के संबंध में कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23) प्रसु/अनु–3/99 दिनांक 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 25.05.2017 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 07.06.2017 के द्वारा निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप स्व0 श्री चतुर्वेदी को विभागीय आदेश क्रमांक 419 दिनांक 12.07.2017 द्वारा निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर में किया गया था। निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन किये जाने का उल्लेख किया गया था।

स्व0 श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी का निधन दिनांक 02.01.2022 को होने के कारण माननीय न्यायालय एसी.एम.एम. क्रम सं. 20 सांगानेर के निर्णय दिनांक 14.02.2022 द्वारा उक्त मुकदमा संख्या 286 दिनांक 10.03.2014 को ड्राप किया जा चुका है। स्व0 श्री चतुर्वेदी के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/ प्रस्तावित नहीं हैं। अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत स्व0 श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी की निलम्बन अवधि (दिनांक 10.03.2014 से 12.07.2017 तक) के भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे तथा उक्त निलम्बन अवधि को देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना योग्य माना जावेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(एच–385/94)/अलेसे–III/151-159 दिनांक :– 12/06/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर।
2. कोषाधिकारी, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
4. श्रीमति नन्दिनी अग्निहोत्री पत्नी स्व0 श्री हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी, ई–403, मेवाड अपार्टमेन्ट, हल्दी घाटी मार्ग, प्रतापनगर, संगानेर, जयपुर
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
9. संस्थापन अनुभाग।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)